Ueload
13/07/17

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0 सं0–2/शि0स्था0–60–09/17

1731
10.07.17

शुद्धि पत्र आदेश

जिला कल्याण पदाधिकारी, आरा के ज्ञापांक–1079 दिनांक–02.05.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राजकीय अंबेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, आरा में इतिहास विषय के दो सहायक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) श्रीमती पुनीता कुमारी एवं दीपशिखा कुमारी का पदस्थापन किया गया है जिन्होंने क्रमशः दिनांक–22.04.2017 एवं 02.05.2017 को योगदान किया है।

अतः सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:–

1. विभागीय आदेश सख्या–1667 दिनांक–30.06.2017 द्वारा सहायक शिक्षकों (स्नातक प्रशिक्षित) का स्थानांतरण किया गया है, जिसके क्रमांक–20 पर अंकित श्रीमती पुनीता कुमारी, विषय–इतिहास का स्थानांतरण रा0 अं0 आ0 बालिका उ0 विद्यालय, आरा से रा0 अं0 आ0 बालिका उ0 विद्यालय, हाजीपुर किया गया है, उक्त स्थानांतरण आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है ।

2. श्रीमती दीपशिखा कुमारी, सहायक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित), विषय – इतिहास , राजकीय अंबेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, आरा को पुनीता कुमारी के बाद योगदान करने एवं उक्त विद्यालय में इतिहास विषय की रिक्ति नहीं रहने के कारण रा0 अं0 आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, आरा से स्थानांतरित करते हुए उसी रूप में राजकीय अंबेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, मौलाबाग, आरा में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

इस आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

निदेशक 10/7/17

ज्ञापांक–सं0 सं0–2/शि0स्था0–60–9/17– 1731 पटना, दिनांक– 10.07.17

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक कल्याण पटना प्रमंडल, पटना/ मुजफ्फरपुर/ जिला कल्याण पदाधिकारी, आरा/वैशाली/ कोषागार पदाधिकारी, आरा/ वैशाली, /संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ आई0 टी0 मैनेजर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग एवं श्रीमती पुनीता कुमारी, एवं श्रीमती दीपशिखा कुमारी, स्नातक सहायक शिक्षक, विषय–इतिहास रा0 अं0 आ0 बालिका उ0 विद्यालय, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 10/7/17